विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	मैनुअल संख्या–3	
1.	किसी विषय पर निर्णय लेने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया, व्यवस्था, प्राधिकृत अधिकारी	1–3

1.1 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये संगठन/विभाग में क्या प्रक्रिया अपनायी जानी है? (सचिवालय मैनुअल और बिजीनस मैनुअल के नियमों का उल्लेख किया जा सकता है।)

- प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों पर निर्णय सम्बन्धित अनुभाग द्वारा प्रस्तुत पत्रावलियों पर विभागाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा उन कार्यो के सम्पादन हेतु नाम निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा लिया जाता है।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों पर निर्णय सी0सी0ए0 रूल्स एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत लिये जाते है।
- निदेशक, डेरी विकास को फाइनेंसियल हैण्डबुक वाल्यूम एक, दो (खण्ड–दो से चार), तीन तथा पांच एवं जी.पी.एफ. रूल्स में उल्लिखित संगत नियमों के प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष तथा बजट मैनुअल के प्रयोजनार्थ विभाग का बजट नियंत्रक अधिकारी और अपने विभाग/अधिष्ठान के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी भी घोषित करते है।
- दुग्ध सहकारिताओं से सम्बन्धित निर्णय उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 249/XIV–1/2005 दिनांक 19 जुलाई, 2005 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्णय लिया जाता है।
- दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद नियमन आदेश 1992 के अन्तर्गत किसी भी विषय पर निर्णय निदेशक, डेरी विकास उत्तराखण्ड द्वारा सम्बन्धित नियमन आदेश में निर्धारित प्रक्रियानुसार लिया जाता है।

1.2 किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या है अथवा निर्णय लेने के लिये किस–किस स्तरों पर विचार किया जाता है?

- किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने हेतु निर्धारित नियमों का उल्लेख प्रस्तर 9.1 में किया जा चुका है। निर्णय लेने हेतु निम्न स्तरों पर विचार किया जाता है–
- सहायक लेखाधिकारी, डेरी विकास उत्तराखण्ड
  दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता, डेरी विकास उत्तराखण्ड
  सहायक निदेशक, डेरी विकास, उत्तराखण्ड
  उपनिदेशक, डेरी विकास , उत्तराखण्ड
  संयुक्त निदेशक, डेरी विकास उत्तराखण्ड

1.3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुचाने के लिये क्या व्यवस्था है?

- डाक द्वारा।
- पत्र वाहक द्वारा।

1.4 विभिन्न स्तरों पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है?

– सहायक लेखाधिकारी
दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता
सहायक निदेशक, डेरी विकास,
उपनिदेशक, डेरी विकास
संयुक्त निदेशक

1.5 अंतिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकारित अधिकारी।

– निदेशक, डेरी विकास उत्तराखण्ड।

1.6 मुख्य विषय जिस पर संगठन द्वारा निर्णय लिया जाता है उसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करें।

क्र0सं0:–1	
विषय (जिसके सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है)	**दुग्ध सहकारी समितियों का निबन्धन**
दिशा– निर्देश (यदि हो तो)	1. उपविधियों के अनुसार कार्यप्रणाली होनी चाहिए 2. स्वावलम्बी होने की पूर्ण सम्भावना हो।
निर्णय लेने की प्रक्रिया	सहकारी समिति अधिनियम–2003 एवं सुसंगत नियमावली–2004 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या–249 / XIV-1/ 19 जुलाई, 2005 के अनुरूप निर्णय लिये जाते है।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	सहायक निदेशक, उपनिदेशक एवं निदेशक
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	1. जनपदीय सहायक निदेशक, डेरी विकास, 2. उपनिदेशक, डेरी विकास उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल), 3. निदेशक, डेयरी विकास उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल
निर्णय के विरूद्ध कहॉ और कैसे अपील करें।	1. प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों– उपनिदेशक, डेयरी विकास उत्तराखण्ड। 2. केन्द्रीय दुग्ध सहकारी समितियां– निदेशक, 3. शीर्ष सहकारी समिति–सचिव, डेयरी विकास

क्र0सं0:–2	
विषय (जिसके सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है)	**मध्यस्थ निर्णय**
दिशा– निर्देश (यदि हो तो)	–
निर्णय लेने की प्रक्रिया	सहकारी समिति अधिनियम 2003 एवं सुसंगत नियमावली 2004 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या–249/XIV-1/ 19 जुलाई, 2005 के अनुरूप निर्णय लिये जाते है।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, सहायक निदेशक, उपनिदेशक, निदेशक एवं जिलाधिकारी
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	1. जनपदीय सहायक निदेशक, डेरी विकास, 2. निदेशक, डेरी विकास उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल एवं 3. सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी
निर्णय के विरूद्ध कहॉ और कैसे अपील करें।	विभिन्न स्तरों पर लिये गये निर्णय के विरूद्ध उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम में निहित प्राविधान अनुसार निम्न के समक्ष अपील की जा सकती है 1. निदेशक, डेरी विकास उत्तराखण्ड 2. सचिव (डेरी), उत्तराखण्ड शासन 3. सहकारी न्यायाधिकरण

क्र0सं0:–3	
विषय (जिसके सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है)	**दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ नियमन आदेश 1992 के अन्तर्गत निबन्धन**
दिशा– निर्देश (यदि हो तो)	स्वच्छता सम्बन्धी मानकों का अनुपालन
निर्णय लेने की प्रक्रिया	दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ नियमन आदेश 1992 में निहित प्राविधानों के अनुसार
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	सहायक निदेशक, उपनिदेशक एवं निदेशक, डेरी विकास उत्तराखण्ड।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	1. जनपदीय सहायक निदेशक, डेरी विकास, 2. निदेशक, डेरी विकास उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
निर्णय के विरूद्ध कहॉ और कैसे अपील करें।	संयुक्त सचिव, पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य विकास, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।